परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 22 अप्रैल 2016 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : मित्राः पवन और सौर ऊर्जा विकास परियोजना

परियोजना का नाम	मित्राः पवन और सौर ऊर्जा विकास परियोजना
परियोजना की संख्या	49241-001
ऋणी / कम्पनी	मित्राः वायु (रावलपल्ली) प्रा. लिमिटेड मित्राः वायु (रावलपल्ली) प्रा. लिमिटेड मित्राःआध्या पावर प्राइवेट लिमिटेड मित्राःआकाश पावर प्राइवेट लिमिटेड मित्राः वायु (सोम) प्रा. लिमिटेड मित्राः वायु (सावलसंग II) प्रा. लिमिटेड मित्राः वायु (तुंगभद्रा) प्रा. लिमिटेड मित्राः वायु (सावलसंग II) प्रा. लिमिटेड
देश	भारत
स्थिति	
अनुमोदन क्रमांक	
सहायता का प्रकार अथवा विधि	ऋण यूएस डॉलर 64.00 मिलियन प्रक्रमण
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर / उप–सेक्टर	**ऊर्जा** – नवीनेय ऊर्जा जनन – सौर – नवीनेय ऊर्जा जनन – पवन
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कोई लैंगिक तत्व नहीं
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र परिचालन विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	अवसंरचना वित्त प्रभाग 1

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	मयंक चौधरी
परियोजना प्रायोजक	मित्राः इनर्जी (इंडिया) लिमिटेड
विवरण	एशियाई विकास बैंक मित्राः इनर्जी (इंडिया) लिमिटेड (एमईआईएल) द्वारा स्वाधिकृत विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवीज) पोर्टफोलियो को 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे रहा है। एशियाई विकास बैंक की सुविधा इस तरह संरचित होगी कि प्रत्येक परियोजना एसपीवी को परियोजना वित्त (सीमित आश्रय) आधार पर पृथक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तपोषित किए जा रहे संव्यवहार में राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में चार एसपीवीज में 476 मेगावाट की पवन परियोजनाएं और तेलंगान व पंजाब में दो एसपीवीज में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शामिल हैं। ये छह एसपीवीज हैंः I. मित्राः वायु (सोम) प्रा. लि. निधि (90.1 मेगावाट) तथा निपनिया (50 मेगावाट) पवन ऊर्जा परियोजनाएं II. मित्राः वायु (तुंगभद्रा) प्रा. लि. असपिरी (200.7 मेगावाट) पवन ऊर्जा परियोजना III. मित्राः वायु (रावलपल्ली) प्रा. लिमिटेड रावलपल्ली (59.8 मेगावाट) पवन ऊर्जा परियोजना IV. मित्राः वायु (सावलसंग II) प्रा. लिमिटेड – सावलसंग (75.6 मेगावाट) पवन ऊर्जा परियोजना V. मित्राः आकाश पावर प्रा. लिमिटेड – केएम पल्ली (50 मेगावाट) सौर ऊर्जा परियोजना VI. मित्राः आध्या पावर प्रा. लिमिटेड – मंसा (50 मेगावाट) सौर ऊर्जा परियोजना
उद्देश्य और संभावनाएं	इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन उपशमन में निजी क्षेत्र वित्तपोषण जुटाना और निजी क्षेत्र प्रचालनों में स्वच्छ और नवीनेय ऊर्जा को प्राथमिकता हेतु प्रेरित करना है। एशियाई विकास बैंक लगातार बढ़ रही ऊर्जा मांगों की स्थायी ढंग से पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकास हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। इस परियोजना से बैंक के निजी क्षेत्र विकास तथा नवीनेय क्षेत्र में निजी क्षेत्र के परिचालन का स्तर ऊंचा करने के कार्य–उद्देश्य में भी योगदान प्राप्त होगा।
देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की भारत देश भागीदारी रणनीति, 2013–2017 के अनुरूप है, जो नवीनेय ऊर्जा विकास में निवेश हेतु मांग करती है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की ऊर्जा नीति के पूर्णतया अनुरूप है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि नवीनेय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सहायता को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे व्यापक बनाया जाएगा। सन् 2013 में, एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ ऊर्जा निवेश के अपने पूर्व लक्ष्य 1 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष किया है। नवीनेय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु इसकी वर्द्धित वचनबद्धता के हिस्से के रूप में, एशियाई विकास बैंक नवीनेय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु अपनी सहायता बढ़ाकर सन् 2020 तक 6 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष कर देगा।

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ख
स्वदेशी लोग	ख

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू	चिन्हित स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख उड़ान मार्ग के समांतर नहीं माने जाते हैं तथा वे अपने आसपास के क्षेत्र में चमगादड़ों की आबादी के लिए जाने जाते हैं। निर्माण के दौरान पड़ने वाले पर्यावरण संबंधी प्रभाव साधारणतः स्थल–विशिष्ट और परिवर्तनीय हैं। परिचालन के दौरान संभावित शोर और छाया स्फुरण प्रभाव स्वीकार्य सीमाओं के भीतर होने की आशा की जाती है। एक पर्यावरण और सामाजिक ऑडिट पूरा किया जा चुका है तथा अनुपालन संबंधी बकाया मुद्दों के संबोधन हेतु उपयुक्त उपाय किए गए हैं।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	इस ऋण से भारत के छह राज्यों में उधारकर्ता के पवन और सौर ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो के विस्तार हेतु निधि उपलब्ध होगी। उधारकर्ता के पास इसकी भूमि की जरूरतों हेतु सरकारी बेदखली के अलावा कोई चारा नहीं है। अतएव अस्वैच्छिक भौतिक विस्थापन संभव नहीं है तथा सभी स्थायी भूमि अधिग्रहण इच्छुक–विक्रेता–इच्छुक–क्रेता आधार पर स्वैच्छिक बिक्री द्वारा है। जहां उधारकर्ता को सरकारी भूमि पर दीर्घावधि पट्टा प्राप्त है, वहां उपपरियोजनाओं में अस्वैच्छिक आर्थिक विस्थापन संभव है, कि ऋतु दशाओं के अनुसार पड़ोसी ग्रामीणों द्वारा रुक–रुक कर उपयोग किया जाता है। पवन टर्बाइन निर्माण तथा प्रचालन के कारण भूमि उपयोग पर प्रतिबंध तथापि विशेष रूप से सीमित हैं तथा प्रभावों का प्रबंधन उधारकर्ता के ईएसएमएस से किया जाता है। ईएसएमएस का एक ऑडिट संचालित किया गया है तथा सुधार कार्यवाही प्रथम संवितरण से पहले की जाएगी। संशोधित ईएसएमएस में भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास ढांचा शामिल किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आर्थिक विस्थापन का प्रबंधन स्थानीय कानून और एशियाई विकास बैंक के एसपीएस के अनुसार किया जाएगा।
स्वदेशी लोग	उधारकर्ता की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) द्वारा पारम्परिक रूप से स्वाधिकृत अथवा उपयोगाधीन भूमि पर उपपरियोजनाएं स्थापित करने से बचने के उपाय शामिल हैं। दो आरंभिक पवन परियोजनाओं में सम्यक् सतर्कता के कारण प्रत्येक उपपरियोजना प्रभाव क्षेत्र में कोई विशिष्ट तथा भेद्य अनुसूचित जनजानि समुदाय या समूह नहीं मिले। पहचान की गई भावी उपपरियोजनाओं का शुरूआती विश्लेषण दर्शाता है कि अनुसूचित जनजाति समूहों पर प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है, यद्यपि कुछ राज्यों में इसे नकारा नहीं जा सकता है। उधारकर्ता के ईएसएमएस, जो संवितरण से पहले संशोधित किए जाने हैं, में अनुसूचित जनजाति समूहों पर किन्हीं गैर पूर्वानुमानित तथा अपरिहार्य प्रभावों के न्यूनीकरण तथा प्रबंधन के उपाय शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक उपपरियोजना के लिए, उधारकर्ता द्वारा प्रभाव आकलन संचालित किया जाएगा तथा प्रबंधन योजनाएं सक्षम कार्मिकों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श	उधारकर्ता द्वारा उपपरियोजना संबंधी प्रभावों हेतु इसके संवर्द्धित ईएसएमएस के माध्यम से तथा विधायी अपेक्षाओं के अंशरूप व्यापक उपपरियोजना प्रभाव क्षेत्रों में प्रतिभागी हस्तक्षेपों हेतु इसकी सीएसआर नीति तथा योजनाओं के माध्यम से प्रतिभागिता सुनिश्चित करेगा। ईएसएमएस में उपपरियोजना प्रभाव पहचान तथा उपशमन प्रबंधन में प्रतिभागी समुदाय अनुबंध हेतु अपेक्षाओं के अलावा सूचना प्रकटीकरण के संबंध में व्यापक हितधारक अनुबंध अपेक्षाएं शामिल होंगी। उपपरियोजना प्रभाव क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधि मूल रूप से प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों पर आधारित हैं, जो समुदायों को उनकी जरूरतें परिभाषित करने स्थायी समाधान विकसित करने की अनुमति देती हैं, जो उधारकर्ता द्वारा समर्थित हो सकती हैं। दोनों दृष्टिकोणों का क्रियान्वयन स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा उधारकर्ता हेतु किया जाता है, जो निगरानी करने तथा उसकी रिपोर्ट आंतरिक तथा बाह्य दोनों हितधारकों को देने के लिए जिम्मेदार है।

अभिकल्पना, प्रक्रमण तथा क्रियान्वयन में सहायतार्थ समय–सारणी

अवधारणा मंजूरी	08 जनवरी 2015
सम्यक् सतर्कता	19 अगस्त 2015
क्रेडिट समिति की बैठक	25 जनवरी 2016
अनुमोदन	22 मार्च 2016
अंतिम पीडीएस अद्यतन	19 फरवरी 2016

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।